भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 82

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

एनईईटी (नीट) की वेबसाइट को पुनः खोला जाना

82. श्री खलीलुर रहमानः
श्री मनीश तिवारीः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनईईटी (नीट) परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी इसकी वेबसाइट खोली गई थी ताकि नए पंजीकरण किए जा सकें;

(ख) क्या 'नीट' परीक्षा के संचालन को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार इसकी अनुमति है;

(ग) क्या परीक्षा-केंद्रों में वे अपेक्षित सुविधाएं हैं, जो किसी केंद्र के चयन से पहले अनिवार्य होती हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे केंद्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) एनटीए के सार्वजनिक-नोटिसों में उल्लिखित 'हितधारकों का ब्यौरा क्या है और उनके अनुरोध पर उन्हें विस्तारावधि देने के क्या कारण हैं:

(ङ) नीट के नतीजों की घोषणा निर्धारित तिथि से बहुत पहले, अर्थात, 4 जून, 2024 को आम चुनाव के नतीजों के साथ करने के क्या करण हैं;

(च) क्या सरकार का पेपर लीक के व्यापक समाचारों और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारियों के आधार पर नीट परीक्षा फिर से आयोजित करने का विचार है;

(छ) क्या सरकार ने छात्रों को कृपांक देने के संबंध में कोई विश्लेषण किया है; और

(ज) चिकित्सा-परीक्षाओं में अंक प्रदान करने के सिलसिले में विधि-परीक्षाओं हेतु अभिप्रेत डब्ल्यू.पी.551/2018 विषयक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): एनईईटी (यूजी) परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनईईटी (यूजी) 2024 की पंजीकरण विंडो को एनटीए में प्राप्त

अभ्यावेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कारण दिनांक 9 और 10 अप्रैल, 2024 को दो दिनों की सीमित अवधि के लिए फिर से खोल दिया गया था ताकि जो पहले पंजीकरण नहीं करा सके थे उचित अवसर प्रदान करना है।

(ग) जी, हाँ। एनईईटी (यूजी) के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने से पहले न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) नीट (यूजी) परीक्षा के प्रमुख हितधारक उम्मीदवार हैं, जिनके अभ्यावेदनों पर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पंजीकरण विंडो दो दिनों के लिए फिर से खोली गई थी।

(ङ) एनटीए ने सूचित किया है कि परिणाम घोषित करने की विकसित प्रथा के अनुसार, उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने के 04-05 कार्य दिवसों के भीतर परिणाम घोषित किया गया था। चूंकि परिणाम 4 जून तक तैयार थे, इसलिए एनटीए के लिए परिणामों को रोकने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं था।

(च) एनईईटी (यूजी) 2024 के पुन: संचालन से संबंधित विषय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

(छ) और (ज) कुछ केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान समय की हानि के संबंध में शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच करने के लिए परीक्षा और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों वाली शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) की सिफारिश पर अनुग्रह अंक दिए गए थे। जीआरसी ने पाया कि ऐसे मामलों में समय की हानि हुई और ये सिफारिश की गई कि उन्हें वर्ष 2018 की रिट याचिका संख्या 551 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.06.2018 के निर्णय में अपनाए गए फॉर्मूले/तंत्र के अनुसार मुआवजा दिया जाए।

एनटीए की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसरण में सभी 1563 अभ्यथयों को दिए गए अनुग्रह अंक वापस ले लिए गए।
